

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील निर्वाचन सं० 39/2020

1. मुकेश चन्द पुत्र दीनानाथ
2. विजय पत्नी मुकेश
3. दीनानाथ पुत्र मिश्रीलाल
4. पीतमकौर पत्नी दीनानाथ
5. गिरजेश पुत्र दीनानाथ
6. विमलेश पत्नी गिरजेश
7. मन्दूरी पुत्र मिश्रीलाल
8. गायत्री पत्नी मन्दूरी
9. अरविन्द पुत्र मन्दूरी
10. अमित पुत्र मन्दूरी
11. पुष्पेन्द्र पुत्र मन्दूरी
12. पवन पुत्र रामनिवास
13. राधा पत्नी पवन
14. अशोक पुत्र धर्मशंकर
15. विजय लक्ष्मी पत्नी अशोक कुमार
16. मदनलाल पुत्र रामदयाल
17. मिथलेश पत्नी मदनलाल
18. गोपालराम पुत्र रामप्रसाद
19. प्रेमवती पत्नी गोपालराम
20. मनोज पुत्र गोपालराम
21. मधु पत्नी मनोज
22. सरमन लाल शर्मा पुत्र मॉंगीलाल
23. किरनदर्ई मत्नी सरमन लाल
24. ऋषभदेव शर्मा पुत्र सरमन लाल
25. चेतना पत्नी ऋषभ देव
26. कैलाश चन्द शर्मा पुत्र सरमन लाल
27. सुषमा शर्मा पत्नी कैलाश चन्द शर्मा
28. गर्मित शाडिल्य पुत्र राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
29. शिवचरन पुत्र दूल्हेराम
30. अतरवाई पत्नी शिवचरन



(w)
जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

31. संतोष पुत्र शिवचरन
32. नीमा पत्नी संतोष
33. जगन्नाथ पुत्र चन्दनलाल
34. ऊगन्ती पत्नी जगन्नाथ
35. तुलसीराम पुत्र जगन्नाथ
36. संतवेश पत्नी तुलसीराम
37. अखलेश पुत्र जगन्नाथ
38. रश्मी पत्नी अखलेश
39. रचना तिवारी पत्नी बृजेश कुमार

जातियान-ब्राह्मण, निवासीयान-वार्ड नं0 03 कस्बा-बयाना जिला-भरतपुर राजस्थान।

..... अपीलान्ट्स

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम) बयाना

..... रेस्पोजेन्ट

अपील खिलाफ आदेश दिनांक.....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम)


बयाना ।

निर्णय

दिनांक : 09.12.2020

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील विरुद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना जिला भरतपुर दिनांकके पेश की है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट्स वार्ड संख्या 03 नगरपालिका बयाना के स्थाई निवासी हैं। अपीलान्ट्स के किसी भी मतदाता सूची में नाम नहीं हैं। अपीलान्ट्स द्वारा आधार कार्ड, राशनकार्ड, फार्म नम्बर 07 की प्राप्ति रसीद प्रपत्र-03 के साथ वार्ड संख्या 03 कस्बा बयाना की मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु प्रस्तुत किये गए थे, जिन पर बी0एल0ओ0, पटवारी व गिरदावर द्वारा नाम जोड़ने की अनुशंसा करने के बावजूद भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना ने बिना किसी कारण व आधार के आवेदनों को निरस्त कर दिया है। अपीलान्ट्स द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलान्ट्स के नाम वार्ड संख्या 03 कस्बा बयाना की मतदाता सूची में जोड़ने की प्रार्थना की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना से तहत पत्रावली व टिप्पणी तलव की गई, जो संलग्न मिसिल है।



जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

पत्रावलियों का अवलोकन किया। निर्वाचक-रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) बयाना ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि " अपीलान्ट नगर पालिका बयाना के वार्ड संख्या 03 के स्थाई निवासी नहीं हैं। अपीलान्ट्स के नाम अन्य स्थान की मतदाता सूची में दर्ज है। इसी कारण अपीलान्ट्स के आवेदन खारिज किये गये हैं।

अपीलान्ट्स को वार्ड संख्या 03 कस्बा बयाना में स्थाई निवासी नहीं होना पाया गया है। अपीलान्ट्स के नाम अन्य स्थान की मतदाता सूची में होने से उनके नाम वार्ड संख्या 03 कस्बा बयाना की मतदाता सूची में जोड़ा जाना उचित नहीं हैं। **राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 09.11.2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि आवेदक के पूर्व में किसी अन्य क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम अंकित हो तो वर्तमान नगरपालिका निर्वाचक नामावली में नाम नहीं जोड़ा जा सकता है एवं किसी व्यक्ति का नाम दो स्थानों पर नहीं हो सकता।** ई0आर0ओ0 बयाना द्वारा पारित अपीलाधीन आज्ञा विधिवत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है ।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 09.12.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर